राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **1457/2017**

अरूणा मिढ़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 12.07.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थिया के विद्वान् अधिवक्ता श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ एवं श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. यह अपील अपीलार्थिया ने अपने पति राकेश अरोड़ा के ईलाज में हुए खर्चे की राशि 236477/– रूपये का पुर्नभरण नहीं किये जाने पर प्रस्तुत की थी। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का कथन है कि उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर परिक्षेत्र चूरू द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2012 के द्वारा राशि 238121/– रूपये का पुर्नभरण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की, परन्तु उसके बाद भी अपीलार्थिया को भुगतान नहीं किया गया, जिस पर अपीलार्थिया ने दिनांक 16.10.2017 को यह अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत करने के बाद काफी समय तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 23.05.2024 को अधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया कि अपीलार्थिया को चिकित्सा बिल रूपये 208753/– का भुगतान दिनांक 09.06.2022 को कर दिया गया है। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि बिलों का पुनर्भरण किया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थिया को बिलों के भुगतान की स्वीकृति के 10 वर्ष पश्चात भुगतान किया गया। ऐसे में अपीलार्थिया पुनर्भरण राशि पर ब्याज राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि बिलों के भुगतान में हुई देरी का कारण अपीलार्थिया द्वारा ऑन लाईन प्रक्रिया से बिल प्रस्तुत करने के बजाय विलम्ब से ऑफ लाईन बिल प्रस्तुत किये गये हैं। बाद में बिल स्वयं की आई–डी से जनरेट कर विभाग को चिकित्सक के बिना हस्ताक्षर के प्रस्तुत किया गया है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थिया ने अपनी ओर से समस्त कार्यवाही करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को बिल प्रस्तुत कर दिये हैं, जिसके पश्चात अपीलार्थिया को पुनर्भरण किये जाने के आदेश उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर परिक्षेत्र चूरू द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित किये, परन्तु उसके बावजूद भी अपीलार्थिया को समय पर बिलों का भुगतान नहीं किया गया। इस अपील के लम्बित रहने के दौरान उक्त भुगतान किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने भुगतान में देरी का कारण अपीलार्थिया द्वारा ऑन लाईन प्रक्रिया से बिल प्रस्तुत करने के बजाय विलम्ब से ऑफ लाईन बिल प्रस्तुत किया जाना तथा बाद में बिल स्वयं की आई–डी से जनरेट कर विभाग को चिकित्सक के बिना हस्ताक्षर के प्रस्तुत किया जाना बताया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किये गये उपरोक्त कथन को उचित होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपीलार्थिया को पुनर्भरण की स्वीकृति का आदेश दिनांक 07.11.2012 को जारी किया जा चुका था।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम पाते है कि अपीलार्थिया पुनर्भरण की राशि पर इस अपील के प्रस्तुतिकरण की दिनांक 16.10.2017 से भुगतान की दिनांक 13.06.2022 तक राशि 208753/– पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलार्थिया को उपरोक्त ब्याज की राशि 60 दिवस में अदा की जाए। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)